

तारीख हुकम	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
5/2/25	<p>आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई</p> <p>वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की</p> <p>वादी ने वाद घोषणा हेतु प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि अपने अनुतोष में दुरुस्ती बाबत कोई अनुतोष की मांग नहीं की है और ना ही संशोधन बाबत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अनुतोष की मांग की है केवल मात्र धारा 88, 188 आरटीएक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर घोषणा चाही है धारा 88 आरटीएक्ट के तहत अधिकार की घोषणा किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित करता है ना कि दुरुस्त का हस्तगत वाद-पत्र द्वारा वर्जित होने से काबिले खारिजी है वादी ने वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वादी को दस्तावेज बेयनामा दिनांक 03.01.1994 में बहिब कटिंग विधि अनुरूप है अथवा फर्जकारी है की जांच करवाकर नामान्तकरण सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनोती दी जाकर नामान्तकरण दुरुस्त करवायी जानी थी परन्तु वादी ने नामान्तकरण में दुरुस्ती के बजाय घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जो क्षेत्राधिकारिता के अभाव में काबिजे खारिज है प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि बेयनामा दिनांक 03.01.1994 में विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण से 94500/रु- रुपये नगद पेशगी प्राप्त किये है क्रेतागण से कम अथवा अधिक नगद राशि प्राप्त करने का तथ्य अंकित नहीं किया गया है वाद में वादी की साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य आया है वर्ष 2018 में दोनो भाईयो ने संयुक्त रूप से केसीसी ली थी अर्थात वर्ष 1994 से वर्ष 2018 तक ज्ञान होने के बावजूद वादी 1/2 हिस्सा की भूमि तक सहमत रहा है भूमि खरी एवं नामान्तकरण के समय से वादी को 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज होने का ज्ञान था इसके बावजूद वादी ने हस्तगत वाद दिनांक 05.07.2022 को 25 वर्ष 6 माह पश्चात बहुत विलम्ब से प्रस्तुत किया है विलम्ब का कारण भी वादी ने अपने वाद में अंकित नहीं किया गया है और विलम्ब को कन्डोन करवाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये भी वाद खारिज योग्य है वादी ने वाद में मन प्रतिवादी के साथ राज्य सरकार को भी प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है विधि का प्रावधान है राज्य सरकार के विरुद्ध घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 80(2) सीपीसी के तहत 60 दिवस की समयवधि का विधिक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत वाद पत्र ना तो विधि के आवश्यक प्रावधानों के तहत विधिक नोटिस जारी किया गया है और ना ही आवश्यक प्रावधानों के तहत विधिक नोटिस जारी किया गया है ना ही वाद पत्र प्रस्तुत के समय आवश्यक एवं अविलम्ब होने का कारण दर्शित किया गया है वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इस स्तर पर खारिज फरमावे।</p> <p>वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि मनु उत्तरादाता की खरीद शुद्धा भूमि पर 136 एलआरएक्ट लागू नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावा में कही भी अंकित नहीं किया की दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार है या नहीं इश्तकरार हक के दावा मे कोई मियाद नहीं लागू होती है वादी का वाद प्रतिवादी संख्या</p>	

1 के विरुद्ध हे ना की राज्य सरकार के विरुद्ध है इसलिये वादी के वाद में धारा 80(2) सीपीसी के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने जबाब दावा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जो तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है चूंकि इशतकरार हक के वाद में मियाद लागु नहीं होती है तथा ना ही वादी का वाद राज्य सरकार के विरुद्ध है दावा में देरीना करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्याम किशोर के द्वारा पेश किया गया है जबकि दावा में श्यामा किशोर नाम का कोई पक्षकार नहीं है प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 271/241 के खसरा न0 101/2 की 2.2760 हैक् भूमि टिकुराम, घीसाराम, औमप्रकाश के बतौर खातेदार काशतकार दर्ज थी जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.01.1994 को खरीद की गई थी बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जरिये बैयनामा वादी ने 6 बीघा और प्रतिवादी संख्या 1 ने 3 बीघा भूमि खरीद की गई थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में बहिब दर्ज कर दी गई जिसे संशोधन करवाना चाहता है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 03.01.1994 को भूमि खरीद की गई थी और राजस्व रिकार्ड में बहिब दर्ज हो गई राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने पर वादी ने वाद भूमि बैंक के रहन रख कर केसीसी बनाई गई थी अर्थात वादी को ज्ञान था कि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में कितनी भूमि दर्ज है।

वाद भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 03.01.1994 से खरीद कर राजस्व रिकार्ड में भूमि जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई थी यदि बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज नहीं हुई थी जिस नामान्तकरण से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी उस नामान्तकरण को निरस्त करवाकर पूनः बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 03.01.1994 भूमि खरीद की गई जिसका नामान्तकरण दर्ज किया गया था बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं हुई थी तो नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में की जाकर नामान्तकरण निरस्त करवा कर बैयनामा के अनुसार दर्ज करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी घोषणा / इशतकरार हक का वाद पेश किया जाना न्यायोचित नहीं है

वादी ने घोषणा / इशतकरार हक का वाद पेश कर 6 बीघा भूमि बैयनामा के अनुसार दर्ज करवाने की घोषणा की गई है जो 88 आरटीएक्ट के तहत अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है ना की दुरुस्ती / नामान्तकरण निरस्त करवाने के लिये वाद पेश किया जा सकता है।

वादी / अप्रार्थी का कथन है प्रार्थना पत्र श्याम किशोर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो वाद में पक्षकार नहीं है प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम श्यामकिशोर सहवन से अंकित किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधन का निवेदन किया जा चुका है यह केवल टंकणीय त्रुटी है


5

वादी /अप्रार्थी ने अपने वाद में बैयनामा दिनांक 03.01.1994 द्वारा खरीद की गई भूमि के सम्बन्ध में घोषणा चाही गई है जो विधि सम्मत नहीं है वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 03.01.1994 भूमि खरीद की गई थी बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई थी यदि बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई थी तो बैयनामा के अनुसार दर्ज नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिये थी ना की घोषणा का वाद पेश किया जाना चाहिये था।

वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद वादी ने केसीसी बनाई गई अर्थात् वादी को ज्ञान था कि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में कितनी भूमि दर्ज है फिर भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई काफी समय बाद यह वाद पेश किया गया है देरीना से वाद पेश नहीं करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है ना ही कोई कार्यवाही की गई है जो न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी /प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 03.01.1994 भूमि खरीद की गई थी बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई है यदि नामान्तकरण बैयनामा के अनुसार दर्ज नहीं हुआ है तो वादी नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में करनी जानी चाहिये थी घोषणा के वाद में नामान्तकरण निरस्त करवाने की कार्यवाही करवाने की अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।


उपजज अधिकारी
बोहर